भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1128

(जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।)

''कृत्रिम अंगों पर जीएसटी से छूट''

1128. **डॉ. सी. एन. मंजूनाथ:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या सरकार के पास गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पैरों और हाथों के विच्छेदन सहित गंभीर शारीरिक विकलांगता वाले रोगियों के लिए कृत्रिम अंगों/विभिन्न सहायक उपकरणों पर जीएसटी माफ करने की कोई योजना है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

जीएसटी की दर और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्धारित की जाती है जिसमें केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों से प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद की ऐसी कोई सिफारिश नहीं है।

जीएसटी लागू होने के बाद, दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण, पुनर्वास सहायता और अन्य सामान जैसे गंभीर रूप से दिव्यांग लोगों के लिए उपकरण और प्रत्यारोपन पर जीएसटी की सबसे कम कर दर अर्थात 5% की दर निर्धारित की गई है।

*****